न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर
फौजदारी अपील संख्या 366/2024
अरिंजय जैन बनाम राज. सरकार व अन्य

29.04.2026

अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र मल्होत्रा उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या–1 राज.सरकार की ओर से लोक अभियोजक श्री जे.पी.शर्मा उपस्थित। प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर शर्मा उपस्थित।

अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 91 सपठित धारा 391 दं.प्र.स. दिनांकित 03.06.2025 पर गत पेशी पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किया कि अपील पेश करने के पश्चात अपीलार्थी व परिवादी के मध्य राजीनामा हो गया, जिसकी फोटो प्रति अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश की जा चुकी है। परिवादी द्वारा मूल राजीनामा न्यायालय में पेश करने हेतु अपने पास रख रखा है, जिस पर परिवादी व उसकी पत्नी ने भी हस्ताक्षर किये थे। अपीलार्थी–अभियुक्त व परिवादी–प्रत्यर्थी के मध्य राजीनामा होने के बावजूद, अपीलार्थी–अभियुक्त को सजा करने के उद्देश्य से मूल दस्तावेज प्रत्यर्थी–परिवादी न्यायालय में पेश नहीं कर रहा है। प्रत्यर्थी–परिवादी से मूल राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत कराया जावे, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रत्यर्थी–परिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज पेश नहीं करने पर अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत फोटो प्रति द्वितीय साक्ष्य के रूप में पढ़ी जावे। अंत में मूल दस्तावेज प्रत्यर्थी–परिवादी से तलब किये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–परिवादी ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी–परिवादी व अपीलार्थी–अभियुक्त के मध्य कभी कोई राजीनामा नहीं हुआ, जिस लैटर हैड पर अपीलार्थी–अभियुक्त राजीनामा होना बता रहा है, वह उसका स्वयं का कलमी है और वह लैटर हैड प्रत्यर्थी–परिवादी का नहीं है, ना ही उस पर प्रत्यर्थी–परिवादी व उसकी पत्नी के हस्ताक्षर है। अपीलार्थी–अभियुक्त ने सजा से बचने के लिए उक्त कूटरचित दस्तावेज की कूटरचना की है और न्यायालय को भ्रमित करने के लिए अपने समर्थन में झूठी साक्ष्य गढ़ी है, जिसकी जांच न्यायालय द्वारा करवायी जानी चाहिए। उक्त तथाकथित कूटरचित दस्तावेज की फोटो प्रति को द्वितीय साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। अपीलार्थी–अभियुक्त ने परिवादी से तथाकथित कूटरचित राजीनामा कब, किसके सामने, कहां पर किया, उसका कोई अंकन प्रार्थना–पत्र में नहीं है। अपीलार्थी–अभियुक्त झूठे दस्तावेज के आधार पर प्रत्यर्थी–परिवादी पर राजीनामा का दबाव बनाना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत परिवाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2024 को निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया। उक्त निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.09.2024 को अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के दौरान अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा जिस तथाकथित राजीनामा दिनांक 06.12.2024 की प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पढ़ने तथा मूल दस्तावेज प्रत्यर्थी–परिवादी से तलब किये जाने बाबत जो कथन किये हैं, इस संबंध में यदि हम अपील पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि उक्त राजीनामा की दिनांक 06.12.2024 के पश्चात अपील में नियत की गई दिनांक 12.12.2024 को अपीलार्थी–अभियुक्त की उपस्थिति के हस्ताक्षर इस आदेशिका में अंकित है, जिसमें यह अंकित है कि " राजीनामा पेश करने हेतु समय चाहते हैं।" इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 22.01.2025, दिनांक 12.02.2025, दिनांक 25.02.2025, दिनांक 04.03.2025 की आदेशिकाओं में भी राजीनामा हेतु अप्रत्यक्ष रूप से समय चाहा गया है। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 06.03.2025 में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जाहिर करने पर यह अंकित किया है कि " अपीलार्थी राशि अदायगी हेतु समय चाहते हैं। " इसी प्रकार के कथन आदेशिका दिनांक 27.03.2025, दिनांक 07.04.2025, दिनांक 28.04.2025, दिनांक 06.05.2025, दिनांक 16.05.2025 में किये हैं। उपरोक्त दिनांक की आदेशिकाओं में राजीनामा व राशि अदायगी करने बाबत न्यायालय द्वारा समय प्रदान करने के पश्चात अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.06.2025 को प्रस्तुत किया गया है। यदि वास्तव में अपीलार्थी–अभियुक्त एवं प्रत्यर्थी–परिवादी के मध्य किसी भी प्रकार का राजीनामा दिनांक 06.12.2024 को निष्पादित होता तो उसके पश्चात अपील में नियत आदेशिका दिनांक 12.12.2024 में राजीनामा पेश करने हेतु समय नहीं चाहते हुए राजीनामा होने का कथन कर, राजीनामा पेश कर देते। इसी प्रकार यदि किसी भी प्रकार का राजीनामा यदि अपीलार्थी–अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य दिनांक 06.12.2024 को निष्पादित होकर किसी भी प्रकार का लेन–देन शेष नहीं रहता तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से राशि अदायगी हेतु समय आदेशिका दिनांक 06.03.2025 व अन्य आदेशिकाओं में नहीं चाहता। तथाकथित राजीनामा दिनांक 06.12.2024 को निष्पादित होने के पश्चात यदि प्रत्यर्थी–परिवादी द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किया गया तो अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र तथाकथित राजीनामा के निष्पादन के लगभग छः माह पश्चात क्यों पेश किया गया, इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई युक्तियुक्त व न्यायोचित कारण प्रार्थना–पत्र व बहस के दौरान प्रकट नहीं किया गया है, जिससे भी पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने का

तथ्य साबित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 91 सपठित धारा 391 दं.प्र.स. दिनांकित 03.06.2025 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 06.05.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर